


4

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.11.2016	<p>राजस्व वाद संख्या 34/2015 अनवान डोली बनाम मन्दिर श्री गोपालजी जरिये तहसीलदार लूणी बनाम शान्ति खसरा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</p> <p>पत्रावली आज वादी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 18.07.2016 का संशोधित आदेश एवं डिक्री पर्चा दिनांक 18.07.2016 को संशोधित डिक्री पर्चा जारी किया जाता है। पत्रावली पुनः फ़ैसल सुमार होकर पुनः दाखिल दफतर हो।</p> <p>सरकारी पेटोकार उपस्थित। राज्य सरकार की और से यह दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 57 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/1 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 19 बिस्वा की भूमि मूल रूप से गोपालजी मन्दिर की खातेदारी भूमि रही है जो सारस्वत नाबालिग है जिसकी रक्षा करने एवं अन्य कार्यवाही हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को अधिकृत किया है। विवादग्रस्त भूमि मूल रूप से मन्दिर की डोली की भूमि होने से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा इस भूमि पर नाजायज हरकतों से कानून को अपने हाथ में लेकर अवैध रूप से इस भूमि के आगे निर्माण कार्य करवा दिया इसके लिए डोली मन्दिर श्री गोपालजी एक सारस्वत नाबालिग है और उसके हितों की रक्षा के लिए वादी को यह वाद प्रतिवादी को बेदखल करने का वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा अपना वकालतनामा दिनांक 01.05.2015 को प्रस्तुत किया और उसके बाद आज दिनांक तक कोई जवाब दावा पेश नहीं किया और नहीं प्रतिवादी ओर नहीं उनके अधिवक्ता पैरवी होने हेतु उपस्थित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के विरुद्ध इस तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है वादी की ओर से अपनी बहस में बताया कि खसरा परिवर्तन सम्मत 2068 व न्यायालय अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर के राजस्व अपील संख्या 14/2012 से 37/2012 निर्णय दिनांक 05.07.2012 को अपना आधार बताते हुए प्रतिवादी को बेदखली का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तन सम्मत 2068 को ध्यान में रखते हुए एवं इस खसरा परिवर्तन में दर्शाये गये अतिक्रमणों को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होता है इस परिपेक्ष्य में वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य है।</p> <p>संशोधित आदेश</p> <p>अतः आदेश है कि बोरानाडा के खसरा नम्बर 57 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/1 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 19 बिस्वा में प्रतिवादी शान्ति द्वारा बनाया या झोपड़ा कच्चा व ढालिया फाचरों का 25 X 40 भू भाग से बेदखल किया जाता है। व आदेश दिये जाते हैं कि वादी उक्त भूमि का कब्जा भौतिक रूप से प्राप्त करें व प्रतिवादी इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्या नहीं करें। निर्णय सुनाया गया। खर्चा अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	


सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी